**फर्द अहकाम**

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा )**

**हरिमोहन बनाम दिलखुश वगै0**

**किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 113 /2025**

| तारीख हुक्म | | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 08.08.2025 | प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता श्री बालकृष्ण गौड़ एड0 द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस , सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा गढ़ोरा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में वर्तमान खसरा नम्बर 354, 331, 336, 337, 349, 353 तथा वाके रामा अम्बाडी तह0 बहरावण्डा में स्थित खसरा नम्बर 300/142 में आगामी पेशी तक विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन से की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 19.09.2025 को पेश हो ।<br>उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा | |
| 19/9/25 | पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते रजि० तामील दि० 17/11/25 को पेश हो। | |
| 17/11/25 | पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप० वास्ते रजि० तामील दि० 9/1/26 को पेश हो। | |
| 9/1/26 | पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली में पैरवी हेतु खुले न्यायालय मे बार-बार आवाज लगायी गयी लेकिन कोई भी हाजिर नही आया। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजिरी मे खारिज की जाती है। | |

उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा